राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

कमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–88/पार्ट–।।/07/ 2626–58 दिनांक 15-3.2007

जिला कलेक्टर (भू.अ.),
.... ।

विषय :– साइबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की प्रतियां जारी करने के लिए जिला स्तर से लाईसेन्स जारी करना व नवीनीकरण ।

प्रसंग :– मण्डल का पत्र कमांक राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–88/05/ 10545–824 दिनांक 16.09.2005 ।

महोदय,

विषयान्तर्गत साइबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की प्रतियां जारी करने हेतु लाइसेन्स जारी करने एवं लाइसेन्स के नवीनीकरण का कार्य राजस्व मण्डल स्तर पर किया जा रहा है । आवदकों को सुविधा जिला स्तर पर ही उपलब्ध हो सके इसे दृष्टिगत रखते हुये इस कार्य का विकेन्द्रीकरण करना व्यावहारिक है । अतः आवेदको को नवीन लाइसेन्स जारी करने एवं लाईसेन्स का नवीनीकरण करने के अधिकार एतद् द्वारा जिला कलक्टर्स को प्रदत्त किये जाते है । जिन लाइसेन्स धारको की अवधि दिनांक 31.03.2007 को समाप्त होने जा रही है उनका नवीनीकरण मण्डल दिनांक 31.03.08 तक किया जा रहा है । दिनांक 01.04.2007 के पश्चात नवीनीकरण कार्य जिला स्तर पर जिला कलक्टर्स द्वारा किया जावेगा। आपके जिले के .... आवेदकों को मण्डल द्वारा लाईसेन्स जारी किये गये है जिसकी सूची मय मूल आवेदन पत्रों के साथ आपको भेजी जा रही है । भविष्य में नये लाईसेन्स जारी करने एवं वर्तमान में जारी किये गये, लाइसेन्सों का नवीनीकरण किये जाने हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जावें :–

1 नये लाईसेन्स जारी करने हेतु राजस्थान के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इसकी विज्ञप्ति जारी की जावें। विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

2 आवेदक को वित्तीय वर्ष के अनुसार लाईसेन्स जारी करना है। उसका प्रारूप संलग्न है। लाईसेन्स जारी करने, नवीनीकरण करने का अधिकार जिला कलेक्टर (भू.अ.) को होगा ।

3 जिला मुख्यालय पर स्थित साईबर कैफे के लिये एक वित्तीय वर्ष हेतु लाईसेन्स फीस 5000/– रूपये एवं जिला मुख्यालय से अन्यत्र स्थान हेतु 2000/–रूपये ली जावेगी जो राशी चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी जिसे मद– 0029, भू–राजस्व, 800– प्राप्तियां, 12 अन्य मद (लाइसेन्स फीस) में जमा कराई जावेगी ।

4 सन्तोषप्रद कार्य पाये जाने पर लाईसेन्स का नवीनीकरण पूर्व में प्राप्त की गई लाईसेन्स फीस का दस प्रतिशत लेकर वित्तीय वर्ष अनुसार लाईसेन्स नवीनीकृत किया जा सकेगा अर्थात जिन आवेदको द्वारा रूपये 5000/– लाईसेन्स फीस के जमा करवाये गये थे उनसे रूपये 500/– लाईसेन्स नवीनीकरण शुल्क के एवं जिन आवेदकों द्वारा रूपये 2000/– लाईसेन्स फीस के जमा करवाये गये थे उनसे रूपये 200/– लाईसेन्स नवीनीकरण फीस लेकर लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

5 जिन आवेदको के लाइसेन्स की अवधि दिनांक 31.03.2007 तक थी उनका नवीनीकरण मण्डल द्वारा दिनांक 31.03.2008 तक की अवधि के लिये किया जा रहा है । इसके आगे का नवीनीकरण जिला स्तर पर किया जावेगा ।

6 लाइसेन्स धारकों द्वारा जमाबन्दी की प्रतियां जारी करने में, आंकड़ों में काट–छांट व हेराफेरी जैसी अपराधिक कर्यवाही करने की स्थिति में उचित कार्यवाही करने, निरीक्षण, करने का अधिकार जिला कलेक्टर्स को होगा । जिला कलक्टर, अधीनस्थ अधिकारीगण को भी साइबर कैफे के निरीक्षण हेतु अधिकृत कर सकेंगा ।

7 नये लाईसेन्स जारी किये जाने की सूचना वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राजस्थान राज्य ईकाई (एन.आई.सी.) कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड सचिवालय जयपुर को नये लाईसेन्स धारी के नाम एवं पते सहित दी जावें । इसकी एक प्रति, निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भी पृष्ठांकित की जावे।

8 एन.आई.सी., जयपुर द्वारा संबंधित साईबर कैफे धारक को लाईसेन्स जारी होने के पश्चात कोड नम्बर दिया जावेगा । जिसके आधार पर साईबर कैफे का संचालन साईबर कैफे धारक द्वारा किया जावेगा ।

9 साईबर कैफे धारकों की तकनीकी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर स्थित डी.आई. ओ. व राज्य स्तर पर एन.आई.सी., जयपुर द्वारा किया जावेगा ।

10 स्थानीय समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर किया जावेगा । इस हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर (भू.अ.), डी.आई.ओ./डी.आई.ए., कोषाधिकारी स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया जावेगा जो स्थानीय समस्याओं के निराकरण, निर्देशों के उल्लघंन करने पर पेनेल्टी तय करने व लाईसेन्स निरस्त करने हेतु अधिकृत होंगे ।

11 साईबर कैफे धारक की प्रार्थना पर तय की गई पेनेल्टी व निरस्त किए गए लाईसेन्स पर विचार राजस्व मण्डल द्वारा किया जा सकेगा और उस पर विचार कर निर्णय से जिला कलेक्टर (भू.अ.) को पालना हेतु सूचित किया जावेगा ।

12 जिला कलक्टर्स (भू.अ.) द्वारा जारी किये गये लाईसेन्स से यदि कोई आपत्ति अथवा शिकायत राजस्व मण्डल को की जाती है तो राजस्व मण्डल ऐसी शिकायतो की जांच करने एवं आपत्ति सही पाये जाने पर जिला कलक्टर द्वारा जारी लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

13 लाईसेन्स फीस एवं लाईसेन्स नवीनीकरण फीस में कमी/ वृद्धि का विनिश्चय मण्डल, द्वारा किया जावेगा जो समग्र राजस्थान राज्य में प्रभावी होगा ।

भवदीय,

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

कमांक: सम/ 2702–2711 दिनांक 16/3/2007

प्रतिलिपि :–

1 संभागीय आयुक्त समस्त, राजस्थान मय संभाग की सूची के ।

2 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया अपने स्तर से डी.आई.ओ./ डी.आई.ए. को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें ।

3 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

उप–निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर